IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

भारत में कृषि उत्पादों में न्यूनतम समर्थन मूल्य की विधिक अवधारणा : आवश्यकता और कठिनाई

रणविजय सिंह1

मुकेश कुमार मालवीय2

1शोधार्थी , विधि संकाय , बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय

2असिस्टेंट प्रोफेसर, विधि संकाय , बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय

अमूर्त

न्यूनतम समर्थन मूल्य किसी भी कृषि उत्पाद के लिए वह न्यूनतम मूल्य होता है जिसे सरकार के द्वारा निर्धारित किया जाता है। सरकार न्यूनतम मूल्य पर कृषि उत्पाद को खरीदारी करती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण सरकार के कृषि मंत्रालय के द्वारा किया जाता है, इस मूल्य निर्धारण को कृषि उत्पादों के उत्पादन लागत, मूल्य वृद्धि और अन्य आवश्यक तथ्यों को ध्यान रखते हुए किया जाता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा हर साल अलग-अलग कृषि उत्पादों के लिए अलग–अलग की जाती है। सरकार के द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य के माध्यम से किसानों के लिए कृषि उत्पाद के उत्पादन लागत पर कम से कम 50% का लाभ सुनिश्चित किया जाता है। इसके अतिरिक्त अगर किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक कीमत बाजार में मिलती है तो वे अपने कृषि उत्पाद को खुले बाजार में बेचने के लिए स्वत्रंत हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना का प्रारंभ वर्ष 1966 में किया गया था। यह कृषि उत्पाद के मूल्य में किसी भी तेज़ गिरावट होने पर किसानों को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। इस प्रणाली के माध्यम से भारत सरकार किसानों के लाभ के लिए बाज़ार में हस्तक्षेप करती है। इस शोधपत्र में न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली में व्यापक सुधारों की आवश्यकता पर ध्यान देते हुए अध्ययन किया गया है, यह शोधपत्र संतुलित दृष्टिकोण निर्धारण पर जोर देता है जो कृषि अर्थव्यवस्था में विकृतियाँ न उत्पन हो इसके लिए केवल वैधानिक मान्यता पर निर्भर रहने के बजाय वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को शामिल करता है और बाजार तंत्र को आधुनिक बनाने की वकालत करता है।

सूचक शब्द – भारतीय कृषि, न्यूनतम समर्थन मूल्य, कृषि पर समझौता, किसान आयोग

प्रस्तावना

न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना सरकार के द्वारा कृषि उत्पादों के लिए निर्धारित अनिवार्य मूल्य से संबंधित है, इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसानों को उनके कृषि उत्पादों का उचित मूल्य प्राप्त हो सके और उन्हें बाजारों में होने वाले समय-समय पर उतार-चढ़ाव से बचाया जा सके। न्यूनतम समर्थन मूल्य का महत्व कृषि नीति में यह है कि इससे किसानों की आर्थिक दशा को सुधारा जाए और बाजार में मौजूद बिचौलियों से किसानों को मुक्ति प्रदान की जाए। भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर कोई विशेष विधान मौजूद नहीं है। भारत में इसका कानूनी ढांचा जटिल है। अगस्त 2014 में बनी शांता कुमार कमेटी के मुताबिक़ 6 प्रतिशत किसानों को ही न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ मिल पाया है। वर्तमान समय में बिहार राज्य के अंतर्गत कृषि उत्पादों की न्यूनतम समर्थन मूल्य से खरीद नहीं की जाती। यहां राज्य सरकार ने प्राइमरी एग्रीकल्चर कॉपरेटिव सोसाइटीज़ (पैक्स) का गठन किया था जो किसानों से कृषि उत्पादों की

खरीदारी करता है। लेकिन, किसानों की यह शिकायत रहती है कि यहां पैक्स के माध्यम से बहुत कम खरीद की जाती है, ये खरीदारी में देरी भी करते हैं और इससे ज़्यादातर किसानों को अपनी कृषि उत्पाद कम कीमत पर बिचौलियों को बेचने पड़ जाते हैं।

विश्व व्यापार संगठन और कृषि सहायता राशि

भारत की मूल समर्थन नीति जो कि किसानों के हित में है, परंतु वर्तमान समय में यह विश्व व्यापार संगठन (वि. व्या. सं.) के प्रावधानों के अनुसार विश्व बाजार में संघर्ष का विषय बन गया है। पिछले कई वर्षों से वि. व्या. सं. के द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम पर भी सवाल खड़े किये जा रहें हैं। साथ ही वि. व्या. सं. के कई सदस्यों के द्वारा भारत की कृषि सब्सिडी को कृषि पर समझौता नियमों के खिलाफ बताया जा रहा है।

कृषि पर समझौता

सरकारों द्वारा घरेलू प्रतिभागियों को विदेशी प्रतिभागियों के ऊपर वरीयता तथा उन्हें सब्सिडी वगैरह में कमी लाने हेतु वि. व्या. सं. के विभिन्न समझौतों के तहत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था के अंतर्गत कृषि एवं टेक्सटाइल को शामिल करने के कृषि पर समझौता लिये लाया गया था। कृषि पर समझौते का मुख्य उद्देश्य विश्व व्यापार के संगठन सदस्य देशों द्वारा कृषि को प्रदान की जाने वाले व्यापार घरेलू समर्थन में कटौती करना है।

कृषि पर समझौता के अंतर्गत मुख्यतः तीन क्षेत्रों हेतु प्रावधान वर्णित हैं-

I. बाज़ार पहुँच
II. निर्यात सब्सिडी में कमी
III. घरेलु सहायता में कमी

किसानों को मिलने वाली सब्सिडी

किसानों को मिलने वाली सब्सिडी को तीन बॉक्स के रूप जाना जाता है एवं ये तीन बॉक्स ट्रैफिक के तीन रगों की तरह कार्य करते हैं-

"ग्रीन बॉक्स" इसके अंतर्गत दी जाने वाली सब्सिडी सामान्यतः व्यापार में विकृति पैदा नहीं करती या फिर न्यूनतम विकृति उत्पन्न करती है। इसके अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम, स्थानीय विकास कार्यक्रमों, अनुसंधान, आपदा राहत इत्यादि हेतु सरकार द्वारा प्रदान की गई आर्थिक सहायता को शामिल किया जाता है जिस पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होता है।

"ब्लू बॉक्स" इस बॉक्स के तहत उस आर्थिक सहायता को शामिल किया जाता है जो कृषकों को उत्पादों के उत्पादन में मात्रात्मक कमी लाने हेतु सरकार द्वारा दी जाती है। यह सहायता राशि व्यापार विकृति में कमी लाने हेतु दी जाती हैं।

"अंबर बॉक्स" इसके अंतर्गत ब्लू एवं ग्रीन बॉक्स के अलावा वे सभी सब्सिडियाँ आती हैं जो कृषि उत्पादन एवं व्यापार को विकृत करती हैं। इस सब्सिडी में सरकार द्वारा कृषि उत्पादों के लिये न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण तथा कृषि उत्पादों की मात्रा के आधार पर प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता आदि को शामिल किया जाता है। फ़र्टिलाइज़र, बीज, विद्युत एवं सिंचाई पर दी जाने वाली ऐसी सब्सिडी व्यापार संतुलन को विकृत करती है। ये अत्यधिक उत्पादन को प्रोत्साहित करते हैं तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों की अपेक्षा देश के उत्पादों को सस्ता बनाते हैं। इनमें कमी लाना ज़रूरी है जिसके लिये विभिन्न प्रतिबद्धताएँ तय की गई हैं। विश्व व्यापार संगठन का कृषि से संबंधित विवादित मुद्दा मुख्यतः इसी अंबर बॉक्स सब्सिडी से संबंधित है।

अंबर बॉक्स समर्थन के निर्धारण के लिए, विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देशों को समर्थन के समग्र माप को निर्धारित करना होता है। समर्थन के समग्र माप उत्पाद विशिष्ट समर्थन और गैर उत्पाद विशेष समर्थन का योग है। कृषि पर समझौते के अनुच्छेद 6.4 (बी) के तहत, भारत जैसे विकासशील देशों को उत्पाद और गैर उत्पाद घरेलू सब्सिडी का न्यूनतम स्तर प्रदान करने की अनुमति है। उत्पाद विशिष्ट सब्सिडी के मामले में यह न्यूनतम सीमा उत्पाद के उत्पादन के मूल्य के 10% पर सीमित है, और गैर उत्पाद सब्सिडी के मामले में देश के कृषि उत्पादन के मूल्य के 10% पर सीमित है। न्यूनतम सीमा को उल्लंघन करने वाली सब्सिडी व्यापार को विकृत करती है। नतीजा उन्हें समर्थन के समग्र माप मैं शामिल किया जाना चाहिए।

न्यूनतम समर्थन पर खरीद, निश्चित बाह्य संदर्भ मूल्य (इ. आर.पी.) - आधार वर्ष 1986-88 पर आधारित औसत मूल्य के साथ तुलना करने के बाद समर्थन समग्र माप में शामिल की जानी चाहिए। क्योंकि पिछले कई दशकों से विश्व व्यापार संगठन में निश्चित इआरपी को संशोधित नहीं किया गया है इसलिए मुद्रा स्पीति के कारण न्यूनतम समर्थन मूल्य और निश्चित इआरपी के बीच अंतर बहुत बढ़ गया है।[1]

विकास बॉक्स

कृषि पर समझौते का अनुच्छेद 6.2 विकासशील देशों को घरेलू सहायता प्रदान करने के संदर्भ में अतिरिक्त लचीलापन प्रावधान वर्णित करता है। विकासात्मक श्रेणी में फिट होने वाले समर्थन के प्रकार सहायता के उपाय हैं, चाहे प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष, कृषि और ग्रामीण विकास को प्रोत्साहित करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं और जो विकासशील देशों के विकास कार्यक्रमों का एक अभिन्न अंग हैं। इनमें निवेश सब्सिडी भी शामिल है जो आम तौर पर विकासशील देश के सदस्यों में कृषि के लिए उपलब्ध है।[2]

शांति खंड

घरेलू समर्थन की सीमा का उल्लंघन होता के बाद भी शांति खंड के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा उद्देश्यों के लिए मूल समर्थन आधारित खरीद के विरुद्ध कानूनी चुनौती लाने पर रोक वर्णित है। परंतु, यह खण्ड कई शर्तों के अधीन है उदाहरण के लिए विकासशील देशों द्वारा खाद्य सुरक्षा के लिए सार्वजनिक भंडारा कार्यक्रम के लिए पारंपरिक खाद्य फसलों को दिए जाने वाले समर्थन के लिए ही लाभ उठा सकते हैं तथा यह खण्ड केवल उन कार्यक्रमों के लिए ही लागू है जो निर्णय की तिथि तक मौजूद थे तथा खाद्य आवश्यकताओं के लिए के अनुरूप है।[3] भारत में चावल और गेहूं की खरीद भले ही वह न्यूनतम सीमा से अधिक है और यह घरेलू समर्थन का उल्लघन करती है फिर भी यह कानूनी प्रतिरक्षा के अधीन है। भारत उन खाद्य फसलों के खरीद में इस खण्ड का उपयोग नहीं कर पाएगा जो खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम का हिस्सा नहीं हैं जैसे कपास , सूरजमुखी के बीज आदि।

स्वामीनाथन आयोग

हरित क्रांति के अगुवा एम. एस. स्वामीनाथन का जन्म दिनांक 7 अगस्त 1925 को तमिलनाडु के कुम्भकोणम में हुआ था। वर्ष 2004 में केंद्र सरकार ने कृषि में सुधर के लिए दो लक्ष्य निर्धारित किए, ये हैं- अन्न की आपूर्ति में वृद्धि करना और किसानों की आर्थिक हालत में सुधार करना। इन दो लक्ष्यों को लेकर 2004 में केंद्र सरकार ने एम. एस. स्वामीनाथन की अध्यक्षता में "नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स" का गठन किया। इसे ही स्वामीनाथन आयोग भी कहा जाता हैं। इस आयोग के द्वारा कृषि और किसान पर रिपोर्ट पेश गई थी। दो सालों में इस कमेटी के द्वारा पांच रिपोर्ट तैयार प्रस्तुत की गई थी। कृषि से संबंधित स्वामीनाथन आयोग के द्वारा दो वर्षों तक कई स्टेकहोल्डर्स से बात की, इसके बाद अपनी आखिरी रिपोर्ट दिनांक 4 अक्टूबर 2006 को केंद्र सरकार को सौपी। इस रिपोर्ट में खेती के क्षेत्र में सुधार करने के लिए तमाम सुझाव वर्णित किये गये थे। इनमें सबसे प्रमुख था – कृषि उत्पादन का लागत से पचास प्रतिशत अधिक मूल्य दिए जाएं।

न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत आने वाली कृषि फ़सल

कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सी.ए.सी.पी.) भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से संलग्न कार्यालय है। इसकी स्थापना जनवरी 1965 की गयी थी। वर्तमान समय में, यह आयोग एक अध्यक्ष, सदस्य सचिव, एक सदस्य (आधिकारिक) और दो सदस्य (गैर-आधिकारिक) से मिलकर बना है। गैर-आधिकारिक सदस्य के अंतर्गत कृषक समुदाय के प्रतिनिधि शामिल होते हैं और आमतौर पर इनका कृषक समुदाय के साथ उनका सक्रिय जुड़ाव होता है। ये

[1] https://nammakpsc.com/articles/msp-aoa/

[2] https://www.wto.org/english/tratop_e/agric_e/agboxes_e.htm

[3] कृषि पर समझौता 1995 का *अनुच्छेद 13,* उचित संयम

विभाग केवल जो देता है, इस संस्था के पास न्यूनतम समर्थन मूल्य को लागू करने का कोई वैधानिक अधिकार नहीं है। सी.ए.सी.पी. 23 वस्तुओं के न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश करता है, जिसमें 7 अनाज (धान, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, जौ और रागी), 5 दालें (चना, अरहर, मूंग, उड़द, मसूर), 7 तिलहन (मूंगफली, रेपसीड-सरसों, सोयाबीन, सीसम, सूरजमुखी, कुसुम, नाइजरसीड) और 4 वाणिज्यिक फसलें (खोपरा, गन्ना, कपास और कच्चा जूट) शामिल हैं।[4] इस आयोग की सिफारिशों के आधार पर प्रत्येक वर्ष सरकार द्वारा कृषि उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है।

न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण

न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण केंद्र सरकार सी.ए.सी.पी. के सिफारिश पर करता है। सी.ए.सी.पी. का गठन वर्ष 1965 में "कृषि मूल्य आयोग" के नाम से किया गया था और बाद में वर्ष 1985 में इसका नाम परिवर्तित करके "कृषि लागत एवं मूल्य आयोग" कर दिया गया। सी.ए.सी.पी. उत्पादन की लागत ,बाजार की मांग और आपूर्ति, अन्य बाजारों के साथ अंतर्संबंध, किसान कल्याण और मुद्रास्फीति नियंत्रण, पर्यावरणीय प्रभाव और कृषि एवं गैर-कृषि क्षेत्रों के बीच व्यापार की शर्तों को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश करता है। राज्य और अखिल भारतीय स्तरों पर प्रत्येक फसल के लिये तीन अलग-अलग प्रकार से उत्पादन लागतों को अनुमानित किया जाता है।

1. 'A2' – इसमें कृषि के लिए उपयोग के गए बीज, उर्वरक, कीटनाशक, श्रमिक लागत, पट्टे पर ली गई भूमि का किराया, ईंधन, सिंचाई इत्यादि मदों में किए गए प्रत्यक्ष व्यय को शामिल किया जाता है।
2. 'A2+FL'- इसमें 'A2' के साथ-साथ किसान व किसान के परिजनों या अन्य सहयोगियों द्वारा किए गए अवैतनिक पारिवारिक श्रम का अनुमानित मूल्य भी शामिल किया जाता है।
3. 'C2' – लागत का यह स्वरुप अधिक व्यापक है, जो उद्योगों के उत्पादन के तर्ज पर फसलों के कीमत का निर्धारण करता है. इसमें 'A2+FL' में कृषक के स्वामित्व वाले भूमि और अन्य अचल संपत्ति के किराए, तथा ब्याज को भी शामिल किया जाता है।

न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करते समय सी.ए.सी.पी. द्वारा 'A2+FL' और 'C2' दोनों लागतों का गणना किया जाता है। सी.ए.सी.पी. द्वारा 'A2+FL' लागत की ही गणना प्रतिफल के लिये की जाती है. जबकि 'C2' लागत का उपयोग मुख्य रूप से बेंचमार्क लागत के रूप में किया जाता है, यह देखने के लिये कि क्या उनके द्वारा अनुशंसित न्यूनतम समर्थन मूल्य कम-से-कम फसल के कुछ प्रमुख उत्पादक राज्यों में इन लागतों को तो कवर करते हैं।

भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का कानूनी आधार

भारतीय कानून और सरकारी नीतियों में कई प्रावधानों के माध्यम से न्यूनतम समर्थन मूल्य की अवधारणा को अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त है। मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा अधिनियम, 2020 पर किसानों का (सशक्तिकरण और संरक्षण) समझौता और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), 2013, न्यूनतम समर्थन मूल्य के कार्यान्वयन के लिए कुछ कानूनी आधार प्रदान करते हैं। हालाँकि, न्यूनतम समर्थन मूल्य स्वयं भारत के संविधान के तहत किसानों के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी अधिकार नहीं है। इसके बजाय, यह एक नीतिगत उपाय के रूप में मौजूद है।

• कृषि उपज (ग्रेडिंग और मार्किंग) अधिनियम, 1937:

हालांकि यह अधिनियम सीधे तौर पर न्यूनतम समर्थन मूल्य को संबोधित नहीं करता है, लेकिन यह कृषि उत्पादों के गुणवत्ता नियंत्रण और मानकीकरण की सुविधा प्रदान करता है। यह अप्रत्यक्ष रूप से उन फसलों की विपणन क्षमता का समर्थन करता है जो न्यूनतम समर्थन मूल्य से प्रभावित हो सकती हैं।

[4] https://cacp.da.gov.in/content.aspx?pid=32

• आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955:

इस अधिनियम के तहत, सरकार कुछ आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन, आपूर्ति और वितरण को विनियमित कर सकती है, जिन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य से जोड़ा जा सकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बाजार में उतार-चढ़ाव के दौरान बुनियादी खाद्य पदार्थ उचित मूल्य पर बेचे जाएं।

• खाद्य सुरक्षा कानून (एनएफएसए, 2013):

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अप्रत्यक्ष रूप से न्यूनतम समर्थन मूल्य को खाद्य सुरक्षा से जोड़ता है, यह सुनिश्चित करता है कि बफर स्टॉक बनाए रखने और सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत कम आय वाले परिवारों को भोजन का वितरण सुनिश्चित करने के लिए गेहूं और चावल जैसे खाद्यान्नों की खरीद सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जाती है।

• खरीद के लिए कानूनी ढांचा:

उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत भारतीय खाद्य निगम (FCI) मुख्य रूप से गेहूं और चावल जैसे खाद्यान्नों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने के लिए जिम्मेदार है। यह प्रक्रिया विभिन्न प्रशासनिक नीतियों और दिशा-निर्देशों द्वारा निर्देशित होती है, लेकिन इसमें वैधानिक अधिकार के रूप में न्यूनतम समर्थन मूल्य कार्यान्वयन के लिए ठोस कानूनी ढांचे का अभाव है।

3. **न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए सरकार की भूमिका और कानूनी प्रावधान**

हालांकि न्यूनतम समर्थन मूल्य एक नीतिगत उपकरण है, लेकिन इसके कार्यान्वयन के लिए इसके संचालन के लिए कानूनी समर्थन की आवश्यकता होती है:

• खरीद तंत्र:

सरकार, राज्य द्वारा संचालित एजेंसियों और एफसीआई के माध्यम से, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद करती है, जिससे किसानों की उपज के लिए बाजार सुनिश्चित होता है। यह खरीद तंत्र न्यूनतम समर्थन मूल्य के कामकाज के लिए केंद्रीय है।

• राज्य सरकार की भूमिका:

न्यूनतम समर्थन मूल्य को लागू करने में राज्य सरकारों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वे खरीद केंद्र स्थापित करने, पर्याप्त भंडारण सुविधाएं सुनिश्चित करने और अपने अधिकार क्षेत्र में न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार हैं।

• सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस):

न्यूनतम समर्थन मूल्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) से जुड़ा हुआ है क्योंकि सरकार राशन की दुकानों के माध्यम से समाज के निम्न-आय वर्ग को रियायती दरों पर वितरण के लिए बफर स्टॉक बनाए रखने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर चावल और गेहूं जैसे खाद्यान्न खरीदती है।

• न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रवर्तन पर कानून:

जबकि न्यूनतम समर्थन मूल्य स्वयं एक कानून-आधारित अधिकार नहीं है, मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा अधिनियम, 2020 पर किसानों का (सशक्तिकरण और संरक्षण) समझौता, कुछ प्रावधान हैं जिनका उद्देश्य किसानों को खरीदारों के साथ अनुबंधों के माध्यम से अपनी उपज के लिए उचित मूल्य सुरक्षित करने के लिए एक कानूनी ढांचा देना है, जो अप्रत्यक्ष रूप से न्यूनतम समर्थन मूल्य के प्रवर्तन में सुधार कर सकता है।

4. कानूनी खामियाँ और आलोचनाएँ

भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य को लागू करने के लिए कोई वैधानिक कानून मौजूद नहीं है। यह सरकार द्वारा नीति आधारित मूल आश्वासन है, परंतु इसके पीछे कोई भी कानूनी बल नहीं प्राप्त है जिससे कि किसानों को हमेशा उनकी फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य प्राप्त होता रहे। बहुत समय से भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी अधिकार प्रदान करने की मांग होती रही है परंतु इसके संबंध में अभी भी भारत सरकार के द्वारा कोई ठोस प्रावधान नहीं किए गए हैं। वास्तविकता यह है कि सभी किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य लाभ नहीं प्राप्त हो पता है। इन सबके साथ ही सरकार के द्वारा कृषि उत्पादों की खरीद करने से संबंधित कई मुद्दों में कमियां है जैसे कि सही समय पर खरीदारी ना करना, अपर्याप्त खरीदारी बुनियादी ढाँचा और किसानों में जागरूकता का अभाव आदि ये सब अक्सर न्यूनतम समर्थन मूल्य की प्रभावशीलता को कमज़ोर कर देतें हैं। वास्तव में, न्यूनतम समर्थन मूल्य का प्रमुख उद्देश्य किसानों को एक आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है, यह बाज़ार की कीमतों को भी विकृत कर सकता है, खासकर उन क्षेत्रों में जहाँ न्यूनतम समर्थन मूल्य बाज़ार मूल्य से काफी अधिक है, जिससे उत्पादन और वितरण में संभावित अक्षमताएँ पैदा हो सकती हैं। अगर हम मात्र गेहूं और चावल को देखें तो, गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य वर्ष 2013-14 में 1350 रूपये से बढ़ कर वर्ष 2022-23 में 2015 रूपये तथा सामान्य धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य लिए वर्ष 2013-14 में 1310 रूपये से बढ़ कर वर्ष 2022-23 में 2040 रूपये और ग्रेड ए धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य लिए वर्ष 2013-14 में 1345 रूपये से बढ़ कर वर्ष 2022-23 में 2060 हो गया है। इस वृद्धि के बाद भी किसानों की आर्थिक दशा में विशेष सुधार नहीं हुआ। किसानों की आय दोगुनी करने के रणनीतियां पर सुझाव देने के लिए **अशोक दलवई** की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था।इस समिति ने सितंबर 2018 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करके यह सुझाव दिया कि केवल कृषि उत्पादन बढ़ाने की नीतियां से किसानों की आर्थिक दशा में सुधार नहीं होगा। इस समिति सुझाव दिया था कि उत्पादन के स्तर में वृद्धि के ही साथ उत्पादन-लागत को कम किया जाना चाहिए, कृषि उपज के लिए एक लाभकारी मूल्य सुनिश्चित किया जाना चाहिए, और टिकाऊ प्रौद्योगिकी का उपयोग कृषि उत्पादन में किया जाना चाहिए।

न्यूनतम समर्थन मूल्य की आवश्यकता

भारत में कृषि पर निर्भर रहने वालों को कई जोखिमों का सामना करना पड़ता है, इनमें मौसम की अनिश्चितता; कृषि उत्पादों का व्यापक आयात; कृषि सब्सिडी में कमी; कृषि के लिए आसान ऋण का अभाव; कृषि क्षेत्र में सरकारी निवेश में कमी; कृषि भूमि का वैकल्पिक उपयोगों के लिए रूपान्तरण; भारतीय किसानों का अशिक्षित एवं निर्धन होना; कृषि का मानसून पर निर्भर होना; कृषि में आधुनिक कृषि तकनीकों का बहुत कम प्रयोग; कृषि पर जनसंख्या का अधिक दबाव; घटता कृषि भूमि क्षेत्र; खेतों का छोटा आकार; कृषि उत्पादों का उचित मूल्य न मिलना शामिल है। इन कारणों से कई बार फसल के मूल्य में वृद्धि और कमी होती रहती है। भारत में ऋण सुविधा तथा स्थायी कृषि बाजार के आभाव के कारण कर्ज में डूबने का खतरा बना रहा रहता है। इन असुरक्षित कारकों के कारण न्यूनतम समर्थन मूल्य, भारतीय कृषि के लिए अन्य संरक्षणवादी सिद्धांत के रूप में किसानों के हित के लिए उपयोगी प्रतीत होते हैं।[5]

[5] https://dfpd.gov.in/Home/ContentManagement?Url=msp.html&ManuId=3&language=1

न्यूनतम समर्थन मूल्य को वैध बनाने के पक्ष में तर्क

पिछले कई वर्षों में कृषि क्षेत्र में कोई विशेष सुधार नहीं किए गए हैं, इससे किसानों का आर्थिक शोषण होता रहा है, और किसानों को आर्थिक शोषण से बचने के लिए के न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए कानूनी गारंटी प्रदान करने की आवश्यकता है। जैसे-जैसे भारत खाद्य सुरक्षा से पोषण सुरक्षा की ओर बढ़ रहा है, 23 फसलों के साथ और भी प्रमुख कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी इसे प्राप्त करने का एक सफल तरीका हो सकता है। सरकार द्वारा सभी 23 फसलों को खरीदने की उम्मीद नहीं है, लेकिन अगर उपज का अधिक से अधिक हिस्सा खरीदा जाता है, तो यह एक अच्छा हस्तक्षेप होगा और कीमतों को स्थिर करने में मदद करेगा। सरकार की मूल्य नीति न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उनकी उपज की खरीद की पेशकश करके किसानों को लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना होना चाहिए।

न्यूनतम समर्थन मूल्य को वैध बनाने के विरुद्ध तर्क

केंद्र के द्वारा 23 कृषि उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया गया है, परन्तु ज्यादातर चावल और गेहूं की खरीदारी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जाती है क्योंकि भारत में इन अनाजों के लिए विशाल भंडारण की सुविधाएं मौजूद हैं। फिर भी, शांता कुमार समिति की 2015 की रिपोर्ट के अनुसार , केवल 6 प्रतिशत किसान सरकार को न्यूनतम समर्थन मूल्य दरों पर गेहूं और चावल बेच पाते हैं। कृषि व्यापार नीतियों और उत्पादन तथा अगले वर्षों में कृषि बाजार का क्या होगा, इसकी विस्तृत, गहन समीक्षा की आवश्यकता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य केवल कुछ प्रमुख फसलों के लिए निर्धारित किया जाता है, इसके अंतर्गत और भी फसलों को शामिल किए जाने की आवश्यकता है, जिससे बाकी फसल उगाने वाले किसान इससे लाभान्वित हो सकें।

निष्कर्ष

भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी अवधारणा सरकारी नीतियों, आयोगों और खरीद तंत्रों के संयोजन पर आधारित है, लेकिन इसमें एक कानूनी ढांचे का अभाव है जो इसके प्रवर्तन को सुनिश्चित करता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली किसानों की आर्थिक दशा को सुधारने तथा कृषि विपणन व्यवस्था को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, परन्तु इस प्रणाली को भारतीय में कानून की तरह वैधानिक मान्यता नहीं प्रदान किया गया है। न्यूनतम समर्थन मूल्य महत्वपूर्ण उपकरण है, इसके कानूनी और व्यावहारिक निहितार्थ विकसित होना अभी बाकी है। न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली भारत में किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय है, जो किसानों की आर्थिक दशा को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वर्तमान समय में इस प्रणाली सुधार की आवश्यकता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ सभी किसानों को नहीं मिल पा रहा है, इसलिए किसानों के बिच व्यापक जागरूकता, बेहतर बाजार पहुँच और अधिक लाभकारी मूल्य निर्धारण हेतु सरकार को कार्य करना चाहिए। न्यूनतम समर्थन मूल्य को वैधानिक मान्यता देने ज्यादा जरुरी है कि सरकार कृषि में निवेश , कृषि उत्पाद के मूल्य निर्धारण और आर्थिक सहायता योजना पर अधिक कार्य करे। न्यूनतम समर्थन मूल्य की विधिक मान्यता बाजार में विकृति उत्पन कर सकता है।

संदर्भ

1. Aditya, KS, SP Subash, KV Praveen, ML Nithyashree, N Bhuvana, and Akriti Sharma (2017). "Awareness about minimum support price and its impact on diversification decision of farmers in India." Asia & the Pacific Policy Studies 4 (3): 514–526.
2. Gupta, Prankur, Reetika Khera, and Sudha Narayanan (2021). "Minimum Support Prices in India: Distilling the Facts." Available at SSRN 3791859.
3. NITI Aayog. 2016. Evaluation study on efficacy of Minimum Support Prices on farmers. Government of India, New Delhi. https:// niti.gov.in/writereaddata/files/writereaddata/files/ document_publication/ Minimum Support Prices - report.pdf.
4. Das Raya, "Minimum support price in India: what determines farmers' access?" Agricultural Economics Research Review 2020, 33 (1), 61-69. https://www.cabidigitallibrary.org/doi/pdf/10.5555/20203376518
5. https://agriculture.vikaspedia.in/viewcontent/agriculture/marketinformation/minimum-support-price?lgn=en
6. Swaminathan, M. S. 2006. Serving farmers and saving farming. National Commission on Farmers Report. Ministry of Agriculture, Government of India. https:// www.prsindia.org/report-summaries/swaminathanreport-national-commission-farmers.
7. The WTO's challenge to Minimum Support Prices is another frontier to cross, *Posted on* December 17th, 2021.https://forumias.com/blog/the-wtos-challenge-to- Minimum Support Prices -is-another-frontier-to-cross/
8. Patel S, Singh R. A study on trends in minimum support price and cost of production in wheat and paddy. The Pharma Innovation Journal 2019;8(1):443-445.
9. Kumar Mukesh , Sharma Madhu and Kumar Keshav, "Minimum support price for agricultural commodities in India: A review" The Pharma Innovation Journal 2021; SP-10(8):12-16. https://www.thepharmajournal.com/archives/2021/vol10issue8S/PartA/S-10-6-101-803.pdf